

Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College

AISHE CODE : C-28591

YEAR WISE SEAT SANCTIONED

THIS DOCUMENT CONTAINS-

- 1. 2022-23- ONLINE PORTAL SHOWING BASE SEATS AND ADDITIONAL INTAKE SEPARATELY
- 2. 2021-22- BASE SEATS AND ADDITIONAL INTAKE SEPARATELY
- 3. 2020-21, 2019-20 AND 2018-19- ONLINE PORTAL INDICATING TOTAL SEATS
- 4. Statutory Body/University Letter showing Permanent Sanctioned intake for each program





Admissions 2022-23 Portal

College Helpline number - 7900874576, College Helpline E-mail - helpenable.ccsu@gmail.com

Form link to to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSilQK2)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students (http://antiragging.in/)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों को स्चित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित /जाँच कर लें कि यदि अभ्यर्थी अपना तीसरा मेजर विषय (Major Subject) अपनी Stream को छोड़कर किसी दूसरी Stream का लेना चाहता है तो उस विषय के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता रखता हो, यदि अभ्यर्थी को गलत विषय जिसमें वह अर्ह नहीं है प्रदत्त होता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

Colleges are requested to download LAW/PG merits again (if downloaded before 30-Oct-2022 7pm)

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates.

Show 10 v entries

Search:

Degree 1	Subject	Base Seats		Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B.A. (NEP)	Arts Group	140	59 / 186	0	14 / 14	236	Open-Merit 1	127 + 0
			Additional intake					Stats
B.Com. (Hons)	Commerce Group	60	28 / 80 Additional Intake	0	6 / 6	80	Open-Merit 1	52 + 0 Stats
B.Com (NEP)	Commerce Group	180	98 / 239 Additional intake	0 .	17 / 18	286	Open-Merit 1	141 + 1
			Additional make					Stats
B Sc (NEP)	Biology Group	60	17 / 80 Additional Intake	0	2/6	284	Open-Merit 1	63 + 4
B.Sc.	Mathematics Group	120	122 / 160 Additional Intake	0	12 / 12	106	Open-Meril 1	Stats 38 + 0
(1121)	Group							Stats
M.Com.	Commerce	60	9 / 60	0	6/6	221	Open-Merit 1	51 + 0
								Stats
M.Sc	Chemistry	60	20 / 60	0	6/6	83	Open-Merit 1	40 + 0
								Stats

	45 PM			Admission	s 2022-23) CI	naudhary Charan Sin	gh Univerity. Me	eerut	
A A STATE OF THE S	Degree	Subject	Base Seats	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
1-	M'sc	Mathematics	00	33 / 60	0	6 / 6	84	Open-Merit 1	27 + 0 Stats
	M.Sc	Zoology	60	10 / 60	0	5 / 6	111	Open-Merit 1	50 + 1 Stats
	Showing 1 to	9 of 9 entries							

Neetu Digitally signed by Neetu Chawla Dir. calk, o-Personal Little-0850, pseudomy-ABCC4ABD702449515241698 TAGSTOG. 25.4 20-821 c.5527-6c73899316-7726518 18cd. postal Code 201002. stutular Pandeth, postal Code 201002. stut

Previous 1 Next

Admissions 2022-23 Portal

College Helpline number - 7900874576, College Helpline E-mail - helpenable.ccsu@gmail.com

Form link to to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSilQK2)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://antiragging.in/)

विश्विद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित जाँच कर ले कि यदि अभ्यर्थी अपना तीसरा मेजर विषय (Major Subject) अपनी Stream को छोड़कर किसी दूसरी Stream का लेना चाहता है तो उस विषय के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता रखता हो, यदि अभ्यर्थी को गलत विषय जिसमे वह अर्ह नहीं है प्रदत्त होता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

Colleges are requested to download LAW/PG merits again (if downloaded before 30-Oct-2022 7pm)


R.C.C.V. GIRLS DEGREE COLLEGE GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर बिलक करें। Click on the numbers below Applied. Admitted columns to download the list of candidates

Show ~ entries

Degree 1	Subject	Seats	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
ВСА	Computer Application	120	95 / 160 Additional Intake	0	10 / 12	121	Open-Meril 1	65 + 2 Stats
B.Sc. (Home Science)	Home Science	120	138 / 160 Additional Intake	0	12 / 12	43	Open-Merit 1	22 + 0 Stats
howing 1 to 2	2 of 2 entries							
							Previous 1	Next

Neetu Chawla



Admissions 2021-22 Portal

College Helpline number - 7900874576, College Helpline E-mail - helpenable.ccsu@gmail.com

Form link to to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSiIQK2)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://antiragging.in/)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अथर्थियों को प्रवेश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित /जाँच कर लें कि यदि अभ्यर्थी अपना तीसरा मेजर विषय (Major Subject) अपनी Stream को छोड़कर किसी दूसरी Stream का लेना चाहता है तो उस विषय के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता रखता हो, यदि अभ्यर्थी को गलत विषय जिसमें वह अर्ह नहीं है प्रदत्त होता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

एतद्वारा समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके पंजीकरण संख्या "21F" से प्रारंभ हो रही है (प्रमोटेड छात्र/छात्रा) की मेधा सूची उनके हाईस्कूल के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी।

Download Entire UG Applicants List (/files/UG_Paid_Unadmitted_Applicants.xlsx)

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें| Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

Show 10 v entries

Search

Degree 12	Subject	Base Seats	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action [1]	Admitted II
ВА	Arts Group	140	138 / 186 dditional Intake	0	14 / 14	16	Merit	48 + 0 Stats
B.Com.	Commerce Group	180	47 / 239 ADDITIONAL INTA	0 KE	17 / 18	339	Merit	192 + 1 Stats
B Sc	Biology Group	60	22 / 80 ADDITIONAL INT	0 AKE	3/6	185	Merit	58 + 3 Stats
B.Sc.	Mathematics Group	120	112 / 160 ADDITIONAL INT	0 AKE	11 / 12	104	Ment	48 + 1 Stats
M Com	Commerce	60	20 / 60	0	6/6	242 /	Merit	40 + 0 Stats
M.Sc.	Chemistry	60	9 / 60	0	5/6	76	Merit	51 + 1 Stats
M.Sc	Mathematics	60	39 / 60	0	6 / 6	107	Merit	21 + 0 Stats

Showing 1 to 7 of 7 entries

Neetu Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
Dik: ellN. o=Personal title=0850,
pseudonym - ABC C4ABD/T0 2044961528169B
TEAG3106,
2.5.4.20=8221.65276673890316772e08402611
7d320c49e38685651b19966175780118cd,
postalCode=201002_steutral Praiseth
serialNumber=0109fCC2BD/T39420BEE344f
- 189846166761-189674812-390448185E444f

Admissions 2020-21 Portal

College Helpline number - 9759498729

Form link to to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSilQK2)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://antiragging.in/)

Guidelines for EWS/Sports/COVID-19 (/files/PR_01_10_2020.pdf) as per committee meeting on 01-Oct-2020 | Minority colleges must email the list of their minority applications to the admission co-ordinator and ccsu17@gmail.com so that the confirmations may be allowed. |

Important Notice: Please read Notice regarding candidates absent in their last semesters (files PR_29_12_2020_1.pdf) and Guidelines for Back/Absent candidates of final semester (/files/PR_10_01_2021.pdf) regarding verification of COVID-19 special application forms

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

entries

BASE SEATS NOT MENTIONED ON PORTAL

Search:

220-2 **EWS** Subject Vacant/Total Vacant/Total Degree Sports Applied Action 103 / 320 B.Com. 29/32 Commerce 380 Merit Additional Intake B.Sc. 10 / 80 7/8 Biology 247 Merit Group ADDITIONAL INTAKE B.Sc. Mathematics 81 / 160 16 / 16 215 Merit Group ADDITIONAL INTAKE 0 5/6 18/60 M.Com. Commerce 224 Merit M.Sc. 10 / 60 5/6 Chemistry 81 Merit

Showing 1 to 5 of 5 entries



Next

Admitte

217 + 3

Stats

70 + 1

Stats

79 + 0

Stats

42 + 1Stats

50 + 1Stats

Admissions 2020-21 Portal

College Helpline number - 9759498729

Form link to to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSilQK2)

Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://antiragging.in/)

Guidelines for EWS/Sports/COVID-19 (/files/PR_01_10_2020.pdf) as per committee meeting on 01-Oct-2020 | Minority colleges must email the list of their minority applications to the admission co-ordinator and ccsu17@gmail.com so that the confirmations may be allowed. |

Important Notice: Please read Notice regarding candidates absent in their last semesters (/files/PR_29_12_2020_1.pdf) and Guidelines for Back/Absent candidates of final semester (/files/PR_10_01_2021.pdf) regarding verification of COVID-19 special application forms

R.C.C.V. GIRLS DEGREE COLLEGE GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates

Show 10 v entries

Search:

Degree	Subject	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action	Admitted
B.C.A.	Computer Application	89 / 120	0	10 / 12	53	Merit	31 + 2 Stats
B.Sc (Home Science)	Flome Science	107 / 120	0	12 7 12	48	Merit	13 ± 0

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Neetu Chawla

Admissions 2019-20 Portal

College Helpline number - 9759498729 | Download EWS Regulations (files/EWS pdf) | For BALLB / LLB / Nursing colleges may kindly update their BCI, INC recognition status with the affiliation section of the University, for the current session (2019-20), so that their registrations and admissions can Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://antiragging.in/)

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

है । त्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied. Admitted columns to download the list of

· entries

BASE SEATS NOT MENTIONED ON **PORTAL**

Degree	Subject			EWS				Search		
6 Cont	Commerce	Vacant/Total 59 / 320 DDITIONAL INTAI	Sports KE	Vacant/Total 27 / 32	Applied	. Action Ment	Open-Merit 1	Rejected	Cancelled	Admitted
B.Sc.	Biology Group	0/80	0	2 / 8	410	Morit	Open-Merit 1	Rejected	Cancelled	Stats -
M.Com.		DITIONAL INTAKE	0	15 / 16	310	Merit	Open-Ment 1	Rejected	Cancelled	Stats 111 + 1
	Commerce	0760	0	6/6	349	Merit	Open-Merit 1	Rejected	Cancelled	Stats /
	of 5 entries	14 / 60	0	4/6	110	Ment	Open-Merit 1	Rejected	Cancelled	Stats 46 + 2 Stats

Neetu Chawla postalCode=201002.st=Untai-rin-serialNumber=019fC(2820799E) 7988AF9E A23997AE33809266 9918AE, cinnlecut Chawla Date: 2023.10.1812:3912 +0530

Chaudhary Charan Singh University, Meerut Admissions 2019-20 Portal

College Helpline number - 9759498729 | Download EWS Regulations (#les/EWS.pdf) | For BALLB / LLB / Nursing colleges may kindly update their BC INC recognition status with the affiliation section of the University, for the current session (2019-20), so that their registrations and admissions of the University of the current session (2019-20). be accorded | Form link to to be filled for each college (https://goo.gl/forms/jaC0JbWqaQqSiiQK2) | Anti-Ragging Form to be filled compulsarily by all admitted students. (http://antiragging.in/)

R.C.C.V. GIRLS DEGREE COLLEGE GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर बिलक करें। Click on the numbers below Applied. Admitted columns to download the list of

· entries

BASE SEAT NOT MENTIONED ON **PORTAL**

B C.A	Subject Computer	Vacant/Total	Sports	EWS Vacant/Total	Applied	Action		Search.		
	Application	20	0	11 / 12	84					Admitte
B.Sc.	Home	101 / 120				went	Open-Merit 1	Rejected	Cancelled	41 + 1
(Home Science)	Science		0	12 / 12	50	Merit				Stats
Showing 1 to 2	of 2 entries					went	Open-Merit 1	Rejected	Cancelled	19 + 0 Stats

Previous

Next

Neetu

Chawla postacode-201002.setura Pladesh Colorador Colorad



Admissions 2018-19 Portal

College Helpline number - 9759498729 | जिन अभ्यर्थियों के पंजीकरण 9-जुलाई-2018 को या इसके वाद हुए हैं और वे महाविद्यालय एवं डिग्री का चुनाव नहीं कर पाए है अथवा जिन अभ्यर्थियों का 11-जुलाई-2018 तक कहीं प्रवेश नहीं हो सका है, उनको अपने महाविद्यालय एवं डिग्री चुनने का अवसर 12-जुलाई-2018 को ओपन मेरिट-2 के माध्यम से अभ्यर्थियों के लॉगिन में दिया जायेगा | Candidates who have registered on or after 9th July, 2018 (and who were not able to choose the college/degree options) alongwith candidate who are still not admitted anywhere by 11-July-2018, will be given an option to choose college/degrees through Open Merit-2 option that will be made available on 12-July-2018 in candidate login.

RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD

छात्र सूची हेतु Applied/Admitted कॉलम में दिए गए अंको पर क्लिक करें। Click on the numbers below Applied, Admitted columns to download the list of candidates.

स्नातक ओपन मेरिट-1 के दौरान आज (02-जुलाई-2018) अपने आवेदनों में सुधार के लिए विश्वविद्यालय पहुंचने वाले भारी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण कॉलेजों के लिए ओपन मेरिट -1 मेरिट सूची में संशोधन की जरूरत है। कॉलेजों से अनुरोध है कि वे सबसे अद्यतित अभ्यर्थियों की सूची के लिए 02-जुलाई-2018 सायं 6 बजे के बाद ओपन मेरिट-1 अभ्यर्थियों की ताजा सूची डाउनलोड करें।

Due to overwhelming numbers of candidates reaching university for corrections in their applications today (02-Jul-2018) during the UG Open Merit-1 causing students with offer letters not visible in college portal, the Open Merit-1 merit list for colleges needs revision. Due to this, colleges are requested to download fresh list of Open Merit-1 candidates after 6pm of 2-Jul-2018 for most up-to-date candidate list.

BASE SEAT NOT MENTIONED ON PORTAL

Show 10

▼ entries

Search:

Degree	Subject	Vacant/Total	Applied	Admitted	Action
B.Com.	Commerce A	127 / 320 DDITIONAL INTAKE	568	193 Stats	Merit Open-Merit 2
B.Sc.	Biology Group	26 / 80	378	54 Stats	Merit Open-Merit 2
B.Sc.	Mathematics Group	91 / 160 ADDITIONAL INTAKE	271	69 Stats	Merit Open-Merit 2

Neetu Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
Mr. calfl. ozleronal: title:o350,
pteudonym: A8FC4A8D7D2044961528169
7EAGF 06.
2.5.4.20=821:3527e673899346:77eb8fa2611
7d32c0c4993898583b19961773b118cd.
postalCode=201002.stb/tttaf*Padesh.
serialNumber=D19FCC28D739E2D8E2547
788B8A79EFA28977A81380026E8FE4446



Neetu Neetu pleudonymi-ABFC4A8D7D20449615281698
71-A63F06:
71



उत्तर प्रदेश शासन विद्या ।।।।अनुभाग

लखनऊ: दिनाकि: 17 मई, 1995

प्रिय महोदय,

कृषया राम चमेली चझ्दा विश्वासन गर्ल्स डिग्री कालेज, गा जियाबाद को बी उस्ताती । में अस्थायी तम्बद्धता प्रदान करने विषयक अपने पत्र दिनाक- 26.2.95 का अवलोकन करें।

इस संबंध में मुझते आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उ०९० राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या- ई-1820/जी ० एस०, दिना क -23 मार्च, 1995 द्वारा उक्त कालेज को बी 0एस 0सी 0 में 1.7.94 ते 3 ।तीन। वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है।

श्री बीं विश्विताल, तेवा निवृत्त, आईं ०ती ०एत०, ६३ ए, राजकज, गाजियाबादें।

Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

Neetu

Chawla 978840 FER 22997 AS F 1360 36 26 E8 T F 440 97884 C malegor (Chawlas 2004 18 12 29 12 4 05 30)



राज्यपाल सिचवालय, उत्तर प्रदेश लखन ग-२२७१३२

संख्या है सह la-fie 17/6) 2008

प्रेपनी,

था राज्यपाल/बुलाधिपति के विशेष सविव, उत्तर प्रदेश।

रोवा में.

dollhite. वीगरी वरण सिंह विश्वविद्यालन, Acres 1

माभेदय.

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/६७१ दिनाक ४.३.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहारे का निर्देश हुआ है कि महामहिम बुलाधिपति महोदय ने उठप्रठराज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रानधानों के अधीन राम चमेली चढढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर विश्वान संगाय के अन्तर्गत बायो एवं गणित . पा<mark>ट्यक्रम</mark> में स्वीवत्व पोषित योजनान्तरीत निरम्नांबोह्यत शती के अधीन दिनांक <mark>७.७.२००४ से</mark> सम्बद्धता की रवीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

संस्था उच्च शिक्षा विभाग सारा जारी शासनादेश संख्या -- २८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं सगय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्यित किया जायेगा कि अवत महानियालय आस शासनादेश एवं अन्य सुसंगतननियमी का पूर्णस्कोण परिपालन किया जा रहा है।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में विशित तथा शासन द्वारा निर्धारित ₹. शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उठप्रठराज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुरांगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।...

(राकेश कुमार ओझा) बंद्धाविपति के विशेष स्विव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवार्धा हेतु प्रेपित :-

- सर्विच उच्यातर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- प्रमुख सिवन, उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग गुखनाउ ।
- निर्देशक,उँच्य शिक्षा,उच्य शिक्षा निर्देशालय,इलाहायाद । 3.
- सिवन, राम घमेली बढका विश्वास महस्र कालेज, गाजियाबाद

R. C. C. V. Girls College (.q.U) bedeise

Neetu Chawla 398846 (2.38) 2073 Na. 2078 Nat (2.38) 2073 Na. 2078 Nat (2.38) 2073 Na. 2078 Nat (2.38) 2078 Nat (2.38

(राबेहा कुगार ओझा) Digitally signed by Neetu Chawja

चौ॰ चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut:

रामप्रमाणार्थं, रामप्रमाणाय्वा विश्वास गैल्स का लिज, माजयाबाद १३०५०१ पत्रांक सम्बद्धाता का 74∯ मार्क रहे रे 26-11-98

विष्यः स्नातक स्तर पर बी १०काम० विष्य में अस्था थी सम्बद्धाता प्रदान

महोदय,

माननीय केला धिषित जी के तिवशेषा सचिव सेग्प्राप्त पत्र सेंख्या ई0-8242/ जी एसा दिनों के 10-11-98 के माध्यया से आपके महाविधालय में बी एकामा विषय में दिनों के 01-7-98 से आगामी तीन वर्षों की अविधा के अविधा के लिए नि मन प्रतिबन्ध के साथा अस्थायी सम्बद्धाता की स्वीकृति प्रदानकी गरी है:-

1-विश्वविधाालय द्वारा सँस्था से न्वीनी करणा का प्रमाणा पत्र प्राप्त कर लिया जारे 2-विश्वविधाालय द्वारा यहसूनिधिवत कर लिया जारे कि महाविधालय में वे 0 काम 0 विधा

ते तम्बान्धात पुस्तके मानक के अनुसार कृष कर ली गयी है।

3-सॅर्स्था की प्रबन्धासमिति को विश्वविधालय द्वारा अनुमी दित कर लिया गया है। क-उपरोक्त शांतों की पूर्ण कराने के बाद ही विश्वविधालय द्वारा छात्राओं को प्रनेत्र की अनुमति दी जाऐगी म

5-उक्त सम्बद्धाता स्व वित्त वो हि।त योजना के अन्तेगत नहीं हो।

उक्त स्वीकृति के आधार पर, कुलपति जी ने संविधात पाठ्यक्रम हिंदी काम १ में शिंहा पिक सत्र 1998-99 से एक सैक्शन में उक्त शाती के साथा ही साथा निम्न प्रतिबन्धातें साथा कहाा से आरम्बा किये जाने की अनुबाति प्रदान की है:-

।-उक्त पाठ्याम में प्रवेशा, उक्त शाता की पूर्ति के उपरान्त, प्रवेशा नियमावली के अन्त्गत,

अरक्षाण सम्बन्धी नी ति को दृष्टित करते हुए किंग जाएंगे। 2-प्रदेश पृक्तिया पत्र प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण की जाएंगी।

उन्हासन द्वारा जारी पत्र संख्या 1281 निरुट-2-38-2022 दिनाँक 24,758 का पूर्णतः पानन किया जारेगा।

4-उक्त के सम्बन्धा में विश्वविधालय स्वेशासन द्यारा समझ- समय पर जारी विधिन-नियमो-परिनियमों का पूर्णतः पालन कियाजारेगा।

5- उक्त के सम्बन्धा में होने वाला समस्त व्यय भार महा विधाला पृष्ठ न्धा तन्त्र द्वारा

प्रतिविधा =- R.C.C.V. Girls College
1= होत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ghaziabad (U.P.) है वीठ कें तिन्हा है
हिंदी कि सिंहात । कि समिव

2- उप कुल सिचि हूंपरीक्षा है को लूचनार्था एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू के कित ।
3-श्रों के0पी0 खान्डपरी, प्रभारी कमेटी सेलीको सूचनार्था इस अनुरोधा के साथ प्रेकिनत कि क्या उक्त की विश्व विधालय कार्य परिष्टाद की आमामी बैठक में सूचनार्थ प्रमृत

Digitally, signed by Neet

Neetu peudony 7.6.6.970.

17/61

ુર્વાલ ભાગ જાણકોમાં તે અરાધ લોવા. SHORT WALL

A-1: 4.

steel nickle. super and the breathers of 413 11

. सहीवना

आपको पत्र संख्या-सम्बन्धरा/७४४ गिनांक ५०.३.२८८४ हो संबर्ध में सूझे कटने का निदेश हुआ है कि महाक्षिण बुद्धापिपति महोदय ने उठप्रवस्तान्य विदे अधिनित्तम, १४,७३ की धारा २७(२) के सुसंगत प्रानधानों के अधीन राम बमेली कड़ता विस्तात गल्सी कालेज, गांजवाबाद को <mark>स्नातक स्तर पर बी. व्याम पाङ्यक्रमें में स्ववित्त</mark> पीएवं वीजवालकांव निम्नालादात शती की अधीन दिनांक ५.७.२००४ से सम्बद्धता की सोस्कृति सहये प्रदान कर ही है

रहिला उर्च क्रिया विभाग होता आहे। आसमार्थ्य संख्या 7. २००३-१६ (६२)/२००२, विनानः २ जुलाई, ०३ में अख्लिखित विशा-निर्देशी एवं समय-समय पर इस विषय में निर्मत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय हान सुनिश्चत भन्या जातेमा कि अन्त महाविधालय हारा शासनादेश एवं अन्य पुर्वमत विधनंत का पुर्णरुवेश परिपालन किया जा रहा है।

धीव संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में बीर्णत तथा शासने द्वारा निर्धारित शर्तो एवं वानकों की पूर्णता एवं उनकी निरम्तरता को सुनिधियत नहीं किया जानेगा तो अञ्चलसञ्च विञ्चविद्यालये आधिवयम १६७३ के सुसंगत प्रावधानी के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(राकेश कुमार ओजा) नुलाधिपांत के विशेष सविव

प्रतिशिष निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवादी हेतु प्रेबित :--

- सिनन उच्चत्रर शिक्षा सेना आयोग, उच्चच, १८-ए, न्योग् भागे, इलाहाबाद।
- प्रमुख संचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ । ₹.
- निवेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निवेशालय,इलाहाबाद। 3.

सविध, राम धमेली घढळा विश्वास गर्ल्स कालेण, गांजियाच उ

Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

(राकेश कुमार ओझा) पुर्तायिपति के विशेष सविव

Neetu Chawla postalCode=201002, st=Uttat Pradech serialNumber=0.19fc.CB2D79fc.D8EE341F 97889AF9E7A23997A8F33803626E87FE44C 9918AE, cn=Neetu Chawla Date; 2023.10.1812;9312-05.30

(पिन कोड नं.-227132)

HEARS

भी राज्यपाल / कुलाविपालि के विशेष सचिय, स्चार प्रदेश ।

सेवां वें,

कुलसचिव, चौघरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

B.Sc Home

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन राम चमेली विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्नातक स्तर पर बी० सी०ए० एवं बी॰एस॰सी॰(होम साइंस) विषयों में दिनांक ०१.७.९९ से तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

- संस्था द्वारा ३१.१२.९९ तक मानक के अनुसार निर्धारित भूमि की व्यवस्था कर लेगी। 9. इस आशय का शपथ-पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित कराके देना होगा।
- संस्था की प्रबन्ध समिति को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। 2.
- संस्था द्वारा निरीक्षण मण्डल के समक्ष अवस्थापना के संबंध में दिए गए आश्वासनों को पूर्ण कराये जाने के बाद ही छात्रकांको प्रवेश दिया जाएगा। 3.
- ठक्त सम्बद्धता स्ववित्त पोपित योजना के अन्तर्गत नहीं है। 8.

भवदीय,

(डा० हरशरण दास) क्लाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :-

सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०-१८-ए, न्याय मार्ग, (हेस्टिंग्ज रोड) इलाहाबाद। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ। निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

अवन्धक/प्राचार्य, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज-सी-२२ मेरुठ रोड, गाजियाबाद कम्प्यूटर सेल, राजमवन, लखनऊ।

Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

(डा०/ हरशरण दास) कुलाधिपति के विशेष सिववा

Chawla



पत्रांक : सम्बद्धता/4027 दिनांक : 12:1:201)

राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाट

महोदय.

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2887/सत्तर-2-2011-2(217) / 2011, दिनांक 23.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गारि को बीoएस-सीo (गृहविज्ञान) एवं बीoसीoएo पाठ्यक्रमों / विषय (120-120 सीट) में स्ववित्त पोषित य अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है

संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली /अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी०एस-सी० (गृहविज्ञान) एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रमों / विषय (120-120 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

प्रतिलिपि :-

सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

प्रमारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, इंटरनैट को इस आंशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर

गार्ड फाइल हेतु।

R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

उपकुलसंचिव (संम्बद्धता) कृते कुलसचिव

भवदीय.

उपकुलसम्बद्धता)

कालसचिव

Neetu Chawla 9788

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. ५०३० / जी.एस. दिनांकः 22/2 /2007

पेषक.

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव उत्तर प्रदेश'।

सेवा में.

कुलसचिव. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय. मेरठ।

महोदय,

2-

आपके पत्रांकः सम्बद्धता / ११८ दिनांक १६ / २३-१२-२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन राम चमेली चढ्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को रनातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यकम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्निलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०५-०७-२००६ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- महाविद्यालय समस्त किमयों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या-५१२५/सत्तर-२-२००५(१६६)/२००२ टी०सी० दिनांक २१-१०-२००५ तथा शासनादेश संख्या-५२६७ / सत्तर-२-२००५-२(१६६) / २००२-५ टी०सी० दिनांक १६-११-२००५ का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- 3-महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर जायेगा।
- महाविद्यालय व्दारा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों का फोटोयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जारे....
- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिवद व्यारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता 4-को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद व्दारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
- संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या-२-५५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२. दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त किमयाँ आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

भवदीय.

(विजय कुमार सिंह) कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक;उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद। क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,ए-४६, शान्तिपथ, तिलकनगर, जयपुर।
- प्रबन्धक / प्राचार्य, राम चमेली चढ्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज,गाजियाबाद।

Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

duin sona Do ' (विजय कुमार सिंह) कुलाधिपति के अनु सचिव

Neetu Chawla serialNumber=D19FCC282D/s9988AF9EFA23997A3F338036991BAE.cn=Neetu Chawla Date: 2023;10;18 12:29:12 + 0533

,यक शिक्षा परिषद का एक विधिक संस्थान) उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1910/2006/7877 A P N 0 2 1 3 8

Regd./Speed Post Date:

8 9 NOV 2006

ORDER

Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector -22, Meerut, Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. Course in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition for B.Ed. course of One year duration w.e.f. the session 2006-2007 with an annual intake of 100 (One Hundred only) students to Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector -22, Meerut, Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh at the following address:-

Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector -22, Meerut, Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh

The institution shall ensure the fulfillment of the following:-3.

Selection of qualified staff through duly constituted selection committee as per the norms of NCTE/State Govt./ Affillating University given effect (a) before the commencement of the course.

The institution shall maintain the teaching staff strength of 1+7 for the (b)

proposed B.Ed. Course. The institution shall note that with regard to NET/SLET requirement, the relaxation is allowed only upto the year 2009-2010 as per NCTE (c) Regulation dt. 21.07.2006.

The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as (d)

framed by NCTE from time to time.

The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of (e) FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.

That the Reserve Fund for an amount of Rs. Three Lakhs be maintained in (f)

the form of FDR in favour of the management/institution.

Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC (g)

and State Government, etc. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval (h) of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts

duly audited by a Chartered Accountant.

The institution shall regularly update its website. (i)

Contd. 2...

कार्यालय : ए-४६, शाब्ति पद, तिलक बगर, जयपुर-302004 (राजस्थान) सत्तरांचस, दिल्ली, हरिवाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिनाबल प्रदेश, राजस्थान कार्वक्षेत्र • • • • • • • •

Phone No.: 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office #A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan) Jutakitim: U.P., Ultranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigash, H.P., Rajasthan

E-mall: nrc@nele-in.org NCTE

website: http://www.ncte-in.org

Neetu

Principal R. C. C. V. Girls College Chaziahad (U.P.)

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 1920

सचिव, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज. नाजियाबाद

महोदय.

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1080 / सत्तर-2-2010-2 (118) / 94; दिनांक 20.07 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तु के के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2009-10 से सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है :-

सत्र 2009-10 शून होने के कारण छात्र सत्र 2010-11 हेतु आवंटित किये जायेंगे।

संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिए के माध्यम से आवंदित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन पाठन कराया जायेगा।

संस्था शासनादेश विख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उत्लिख दिशा-निर्देशों एंव व्रस विषय में समय - रामय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मनिकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त विक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली विड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बीoएडo पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वित पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र 2009-10 से सम्बद्धता की पूर्वान्मिति प्रदान की जाती है।

सचिव, उच्च शिक्षा अभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (वैखा) को सूचनार्थ ।

प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैयसाईट पर डालने का कष्ट करें।

गार्ड फाइल हेतु। 7.

> R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता) कृते कुलसचिव

Neetu Chawla Serial No. 97889AI

ग्रयक,

आरमा राम यमी, अनु सविव, उलार प्रतेश शारान।

राया म.

कुलसंधियं, नी० घरण रिहि विश्वविद्यालय, मेरड ।

उत्त शिक्षा अनुभाग-2

लयनकःदिनिकः 19 अपेल, 2006

विषय:-राम यमेली चड्का विश्वास गल्तं कालेण, गाजियात्राद की भूमि परिवर्तन के सम्बन्ध में।

गहोत्य.

. उपर्युक्त विषयक आपके पत्रीकःसम्बन्धता/572, दिनीक 07-01-2006 के सम्बन्ध में गुरो गह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5363 /ससार-2-2004-2(118) / एट १००१: · II. दिनांक 31 दिसम्बर, 2004, जिसके. द्वारा राम चगेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेच, गानियानार को वी0एड0 पाठ्यक्रथ स्ववित्त गोशित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ भारने हेतु कांतगय शतों के अधीन अनापति। प्रदान की गंभी है, के प्रस्तर-1 के बिन्दु-9 को विहुप्त करते हुए उराके स्थान पर निम्नलिखित अंश की प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति शासन

ं जनत पाठ्यक्रम का संशालन संस्थान द्वारा प्लाट संख्या ल -' इण्डिस्ट्यल परिया, गेरठ रोड, गाणियावाद में महाविद्यालय वर्ग गीटर शूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही सह संचालित करने पर यह आयेश खातः निरस्त समझा जायेगा

अतः उत्त शासनावेश संज्ञा-5353/सत्तार-2-2004-2(118)/9नदी०सी०-11, दिनांक 31 विसम्बर, 2004 को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

विकान-526(1) (सातार-2-2006-तष्ट्रिनोक

(आर्था राम वया) अनु सचिय।

प्रतिलिपि निम्नलिक्षित को सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्ति:-• उपाध्यक्ष, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाणियानादः।

क्षेत्रीय निर्देशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषय, उतार क्षेत्रीय समिति, ए-16, शानित

निनेशक, उस्प शिक्षा, उ०००, इलाहावाद। (3)

क्षेत्रीय उत्त शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

गार्ड फाइल।

-आहार से (आरमा राग वर्मा) अनु सचिव।

V. Girls College

Neetu Chawla

F. No./NRC/NCTE/UP-1910/2015

60 BSB0-85

Date:

ORDER

2.4 MAY 2015

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Teacher Education Act; 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on

- AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to Ram Chamli Chadha: Vishyak Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Road, District - Ghaziabad, State - Uftar Pradesh for B.Ed. Course vide order No. F. NRC/NCTE/F-3/UP-1910/2006/7873-7882 dated 09:11.2006 with an annual lutake of 100 scats w.e.f. the session 2006-
- 3. AND WHEREAS, the institution Ram Chamli Chadha Vishyas Girls P.G. Gollege; A-6(ii), Sector-22, Meerut Road, District Ghaziabad, State Uttar Pradesh has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.
- AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.
- The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area. (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- The application-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land (ii) documents, Encumbrance Certificale (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents (Cavailable, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspections
- The Regional Committees shall arrange for verification of documents inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the scademic year 2013-2017:
- In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCRE Act (iv) Complaint etc., the Institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted along with the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order NOC of the afflicting body/State Gov; and such other documents as indicated in the revised formal recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Horthern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.
- Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Ram Chamil Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(ii) Sector-22, Meerit Road, District - Ghaziabad, State - Uttor Bradesh for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.
- 6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Clove) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NGTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Cont. 2

कार्यालय : चौथी मंजिल जीवन तिथी "। एल बोई सी बिल्ड्रगी

भवानी सिंह मार्ग जगपुर कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश उत

Phone No 0147-2744288 2744635; Fax 014

Bhawarli Singh Marg, Jaipuri-302 005

Neetu

Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

24/2/18

litulion shall maintain & update its website as per provisions of NGTE Regulations and always display

Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.

Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale

Name of faculty members who left of joined during the last quarier.
Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the countrying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.

Recongred from stidents.

Available intrastructural facilities.

Facilities added during the last quarter. er of books in the library, fournals subscribed to and additions, If any, in the last quarter, finds if with enclosure submitted along with application.

If the institution Contraveness any the above conditions or the provision of the NCTE Act. Rules, Regulations and Orders made and issued there under the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

(Dr. S.K. Chadhad) Regional Director

The Manager to Govt, of India, Department of Publications, (Gazette Section)

Chamil Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(11) Sector 22, Mocrut Road, District -

question and Literacy, Ministry affiliam Resource Development, Govt. of

ation, Covtros LP Directorate, Allahabad, U.P.

200003 Uttar Pradesh.

Regional Director-

Neetu R. C. C. V. Girls Co Chawla 9789847 9789847 9789847





पत्रांक : सम्बद्धता / 2988

दिनांक : 12-11-21

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79—वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा——(२) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकः की

पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमित के निर्गत आदेशों में इंगित किमयों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

संस्थान / महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित कामेयों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ध प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पुरी कर रहा है।

संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों

एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ती एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 22.09.2021 के आलोक में राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत रनातक स्तर पर बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कर्तिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की खीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

The second secon

प्रतिलिपि :--

- सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
- सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
- प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल / परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाउयक्रम को नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
- गार्ड फाइल हेतु।

R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

SAM 2 (486)



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

न्दर्भ संख्या:CHARANUNI/संब 68 1/2022

दिनांक:20/05/2022

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

्रप्र॰ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर देश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यधरिषद की नुमति (दिनांक: 20/05/2022) से RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD हो UG स्तर पर

Course Name

Subject Name

BCOM HONOURS (2022-2023)

BCOM HONOURS

ाठ्यक्रम में स्विवत्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांकः 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्ती के अधीन सम्बद्धत प्रदान की ाती है:-

- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए पश्चिम्यम 13:30 *^The xecutive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions law down for arting the classes have; in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The asses may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are asses may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are afficient that the prior permission of the Executive Council when the conditions are afficient to its satisfaction** की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) का उन्होंने पान की जाएगी। *
- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) है। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।
- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनोंक 02 जुलाई, 2008 में उल्लिखित सुसगत दिशा-वर्देशों एवं इस विषय में समय समय पर मिर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सर्शत सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्कृत की मंदी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा रिक्ष्य करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायगा। कमियों की पूर्वि सुनिश्चित कर तेने की स्थिति से विगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपित जी से कक्षा संबादन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के तसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणित्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की तर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
- ्यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बिधीरित वं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा वो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ।विधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- i- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमविली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनारेश का पालन सुनिश्चित हरेगी। R.C.C.V. Girls College

Ghaziabad (१)
- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के साबन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मत

Chawla Restriction of the Chawla Restriction

726.3106. 25.4 20=821:3527e67389931677eb8la2611 7d32c0c49e338885e3b1996617573b118cd, postalCode=201002, st=Uttar Pradesh, serialNumber=D19FCC282D73952D8E241F 978894F9EFA23997A3F33803c26EB7FE44C 991BAE, cnn-Neetu Chawle





M·Se(1) दूरमाव : P.B.X. 762021, 22, 24, 763323 चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut.

पत्रांक वान्याग/203/1/

22 06 2000

And the first of the second of

महोदय

विश्वयः रामयोक्षी चडदा विश्वयात गर्ल कावैज, गाविकाबाद में विद्वान संबंध के अन्ते ग्रन स्थातकोरेकरे त्तर पर एम०एस-ली० (स्तायन विश्वान) गाव्यकृत में अत्थापी सम्बद्धता के सप्रक्र सम्बन्ध में।

अपनित विश्व वर आसन के वन संग-662/सरवर-2-2000-2\$163\$/99
प्राचित को का का अपनित कर का स्थान के वन संग-662/सरवर-2-2000-2\$163\$/99
प्राचित को वस्त्र में रामधीनों धक्षा कियान वास का निर्माण प्राच के विश्व के अर्थायों सम्बद्धा के विश्व के अर्थायों सम्बद्धा के विश्व के अर्थायों सम्बद्धा के स्थानकरव में एक निर्देशक अन्त्र का गठन का अर्थायों सम्बद्धा के स्थानकरव में एक निर्देशक अन्त्र का गठन विश्व के अर्थायों सम्बद्धा के स्थानकरव में एक निर्देशक अन्त्र का गठन वास का स्थान के अर्थायों सम्बद्धा के स्थानकरव में एक निर्देशक अन्त्र का गठन का अर्थायों सम्बद्धा के स्थानकरव में एक निर्देशक अर्थाय के स्थानकर्थ के स्थानकरव में एक निर्देशक अर्थाय के स्थानकर्थ के स्थानकरव में एक निर्देशक अर्थाय के स्थानकर्थ के स्थानकर्य के स्थानकर्थ के स्थानकर्थ के स्थानकर्थ के स्थानकर्थ के स्थानकर्

अपरोधत केनरोक्षक समझल की आवेगा क्यम् तरेशाति पर कुल्म ति जी में सम्मकः विभागोत्रकान्त कार्यमारिक्य की त्योकति की प्रथममा में निरोधक ग्रम्डल की आखा तरिकृति सर्वित कुला स्थिति महोदय को अनुसारित करने का निर्माय लिया है।

tele of the last of the portional section (1900) and the property of the prope

साबर, संसरमकः अवदोनसामुसार ।

> Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

मादी छ,

विविद्या शिल्हा । कामाच्या

ाति हेत है जिला अस्थाय-2, 3080 आरम् लक्ष्म को सादर सचनार्थ से अच्छा है उन्हें वाही हैत है जिला

2. प्राचार्य तथित, राज्यमेली पक्टा विश्वकता गर्ला कालेल, गाजियाबाद की क्रेपीय

दिनांक 2 6 अगस्त, २००३



प्रेषक.

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश।

रोवा में,

कुलसचिव. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,

महोदय.

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता ४३३/ दिनांक ३.७.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाथिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ की धारा ३७(२) के सम्बन्ध में उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन राम चमेली विश्वास गर्ल्स कालेज,गाजियाबाद की स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम.एस.सी.(रसायन) विषय में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्प प्रदान

संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १६७३ की धारा ३७(२) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेग अगले शैक्षाणक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित किमयों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्विर कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाापवाल

सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तार-२- २००३-१६ (£2)/2002, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जावेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(राकेश क्मार ओझा) कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद। 9.

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ । निर्देशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निर्देशालय,इलाहाबाद।

प्रबन्धक /प्राचार्य, राम चमेली विश्वास गर्ल्स कालेज,गाजियाबाद

(राकेश कुमार ओझा) कुलाधिपति के विशेष सचिव

Principal R. C. C. V. Girls College Neetu Ghaziabad (U.P.)

लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 794 /जी.एस: दिनांक: 23 / 06 / 2006

प्रेषक

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव उत्तर प्रदेश।

सेवा में

कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोद्रय.

आपके पत्रांकः सम्बद्धता / ३६ दिनांक १० / २४ – ०४ – २००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम – १६७३ की धारा – ३७ (२) के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में एम०एस – सी० रसायन विज्ञान पाठ्यकम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१ – ०७ – २००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है: —

- 9- संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इर विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2— यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह) कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- .

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

२- निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

अप्रबन्धंक / प्राचार्या. राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद ।

Principal
R. C. C. V. Girls College
Ghaziabad (U.P.)

विजय कुमार सिंह) कुलाधिपति के अनु सचिव

> Neetu Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla
DN: c=IN. o=Personal. title=0850.
DR: c=IN. o=Personal. title=0850.
DR: c=IN. o=Personal. title=0850.
TEAG3106.
25.4.20=821.03527e6738993fe77eb8fa2611
7d320c49e38f885€sib.19966175f3b118cd.
postalCode=201002. st=Uttal Pradesth.
serialNumber=D19FCC282D739E2D8E5341F.



पत्रांक : सम्बद्धता /. 369 ह दिनांक : 16.11. 2017-

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79—वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चढ्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्तर पर एम0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है।

संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा–३७(२) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अविध में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

करिषय जाया अन्यवा अपल राजाराम् यय न छात्रा यम अपरा आप्रवास्तर रहता। कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमित के निर्गत आदेशों में इंगित किमयों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्मावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त किमयों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

संस्थान/महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालर के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर 03. निरन्तर प्री कर रहा है।

04.

संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देश, एवं इस विषयं में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ती एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 12.08.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियांबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०काम० में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शतों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

प्रतिलिपि :-

- सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग--2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
- सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
- प्रमारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिहं विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। 4.
- प्रमारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल / परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

गार्ड फाइल हेत्।

R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

Neetu Chawla





पत्रांक : सम्बद्धता/1903

दिनांक : 08.7-2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम् पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के

अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा—37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अविध में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमित के निर्गत आदेशों में इंगित किमयों यथा—प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न् होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगुना सम्मावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त किमयों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से ए 03.

संस्थान् / महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित किमयों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन

संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्त्र—2—2003—16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों

एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमायली/अध्यादेश ने पर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा 05. निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम् 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 08.06.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०काम० पाठ्यक्रम (एक सैक्श्न) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

> Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

सचिव, उच्च शिक्षा अनुमाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड़, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल / परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें

गार्ड फाइल हेतु।

Real 27-73

Chawla serial Numb



पत्रांक : सम्बद्धता / 🤈 🖁 🖓

दिनांक : /2-11-21

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एमँ०एस्०सी० (गणित) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शतों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है।

संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा—३७(२) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अविध में सभी निर्धारित मानकों की पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वीनुमित के निर्गत आदेशों में इंगित किमयों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त किमयों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

संस्थान / महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित किमयों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय 03. के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान महाविद्यालय सम्बद्धता की शतें निरन्तर पूरी कर रहा है।

संस्था शास्नादेश संख्या—2851 / सत्तर्—2—2003—16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में सगय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 22.09.2021 के आलोक में राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०एस०सी० (गणित) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:--

- सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, राम चमेली चेंड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद। 2.
- सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
- प्रभारी, कर्मेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। 4.
- प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल / परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैक्साईट पर डालने का कष्ट करें।


गार्ड फाइल हेतु।

Principal R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

Neetu

Chawla 37889AF9EFA23997A5F33803626EB7FE 991BAL cn-Nectu Chawla

SAM 2 (509)





पत्रांक : सम्बद्धता / 309 ६

दिनांक : 22/8/2022

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79—वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यशासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत रनातक स्तर पर एम०एड० पाठ्यक्रम (50 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान कर दी है।

संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा–३७(२) में प्राविध ानित परन्तुक के अनुसार एम०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश खतः निरस्त माना जायेगा।

संस्थान / महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित किमयों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के 02. कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर

पूरी कर रहा है।

संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2--2003—16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 / सत्तर—2—2013—2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन संस्थान / महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की

कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 05.07.2022 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम०एड० पाठ्यक्रम (50 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

> भवदीय, कुलसंचिव

प्रतिलिपि :--

सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी वे संज्ञानार्थ।

सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को सूचनाथ।

सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ । .4.

प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल / परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूर्यनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईंट पर डालने का कष्ट करें।

गार्ड फाइल हेत्।

R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

SAM 2 (645)



उत्तर क्षेत्रीय समिति य अध्यापक शिक्षा परिषद भारत साकार का एक विधिक संस्थान)



Northern Regional Committe National Council for Teacher Ed

(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION 4

F.No. NRC/NCTE/NRCAPP-10467/287" Meeting /2018 19 5701 RÉCOGNITION ORDER

Dated: A 1021/2018

WHEREAS in terms of Section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institution had submitted application online on 20.05.2015 to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission

- AND, WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution in compliance to the decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time the Northern Regional Committee having satisfied itself that the institution fulfils the requirements under the provisions of NCTI Act.

 Regulations including the Norms and Standards for the proposed Tencher Education course. such as, instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc for running the course and has selected/appointed qualified teaching staff as per norms duly approved by the affiliating body, decided to grant recognition/ permission to the institution in its 287th meeting held from 18th to 20th
- NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Morthern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following institution for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against its name from the academie session 2019-2020 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014, as amended from time to time, subject to fulfilment of the conditions mentioned below: -

Nu.	Pile No.	Name and address of the Institution	Course	Duration	Approved annual	Name of the
	10467	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Land Title A.6(II), Street No. Sector 22, Post Office Guldhar Meerut Road, Town/City Ghaziabad, Dist. Ghaziabad, (UP)	M.Ed.	2 years	50 (01 unit)	Affiliating Bod Choudhary Charan Singh Chaversity Meetat, Ustan Pradesh
-	The other impo	ortant details of the institution are	due	and the standard standards to the standards and		Pradesh

Name of the Sponsoring Society	the state of the s
Name and address of the composite institution Ram Chameli Chadha Vishvas Girls Co	
Name and address of the composite institution Ram Chameli Chadha Vishvas Girls Co	llege. Soojety
Course being run as a composite institution B.Ed. Ram Chameli Chadha Vishvas Girls Sector-22, Meerut Uttar Pradesh B.Ed.	P.G. College, A-6(ii)
modifies of the institution 9999399951/ pea	
5. The institution shall adhere to the falls.)m

The institution shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time, and ensure the following before commencement of the session: -

(i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE

लयः जी-1, संक्टर-10, (नियर संक्टर-10 मैट्री स्टेशन) द्वारका,

Office Sector-10, (Near Sector-10 Metro Station) Dwarks,

Neetu Chawla



(ii) The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in term of Clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations; 2014

(iii) The institution shall comply with condition laid down in clause 8(3) of the NCTB Regulations, 2014

An institution, which has been recognised by the Council shall obtain accreditation from at accrediting agency indentified by the Council within five years of the date of recognition,

All existing Teacher Education Institutions which have not been accredited so for or have not been occredited within five years from the date of its recognition shall be required to ge themselves accredited by the aforsiad accrediting agency within a period of one year from the date of notification of these Regualtions.

The accreditation once obtained shall be valid for a period of five years and the recognised and already accredited Teacher Education Institutions shall be required to get accreditation renewed by the agency identified for the purpose by the Council before the lapse of the earlier

The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

(v) The Norms for teaching staff in respect of their qualifications and experience shall be as per provision.

Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable, and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised

(i) The affiliating body/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents submitted by the institution, with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the VCII Regulations, 2014 before grant of affiliation to the institution.

(ii) The affiliating body shall ensure that the institution is a composite institution as per definition of a "composite institution" given in the NCTE Regulation, 2014. It at any stage, it is found that the institution is not a composite institution, the recognition granted shall be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, the existing stand-alone institutions shall gradually move towards becoming composite institutions.

(iii) The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution. It found fake, at any stage, the recognitions granted shall be treated as withdrawn, and the sale

The institution shall submit a Self-Appraisal Report to the Regional Committee at the ere academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant

The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations are displayes mandatory disclosure the following: . Copy of Application Form (ii) .

Land and Building Particulars (iii)

Staff Profile

(iv) Recognition Order

Information regarding fulfillment of norms & standards and other conditions In case if the land in in the

R. C. C. V. Girls College

Chawla SerialNumber=019FCC282D 978B9AF9EFA23997A3F338



The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by IC Al and ac by the MITRO 11.

The Institution shall fill the GIS Application within one month from the date of issue of this order.

If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rul. 12. Regulations, the Regional Committee shall withdraw recognition under provisions of Section 17(1) of the 1

Further, if the institution is not satisfied with the Order, it may prefer an Appeal under Section 13 of NCTE Act, 1993 through "online mode" available on NCTE's website www.ncte-india.org within 60 days from date of issue of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website

Byrn

(Sutish (.. Regional Director

The Manager Govi. of India Press Department of Publications (Gazette Section) Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

	The Principal,	
	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Plot No. Nil, Street No. Sector 22, Village- Nil, Post Office- Guldhar Meerut Road Tehsil/Taluka-0, Town/City- Ghaziabad, District- Ghaziabad (UP), State Uttar Pradesh,	
	The Managhars	
	Rain Chameli Chadha Vishvas Girls College, Society, Plot No. A-6(11), Sector 22, Street No Meerut Road, Village- Ghaziabad, Post Office- Guldhar Meerut Road District: Ghaziabad (UP), State Uttar Pradesh, Pin Code- 201002	
3.	The Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Ground Floor Research	With a request to ensure compliance of the terms
4.	The Registrar, Choudhary Charan Singh Hair	E conditions as laid down above by the institution. I. With a request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff is an all the institution.

R. C. C. V. Girls College Ghaziabad (U.P.)

NOC & approval of the stuff issued to the institution and also to ensure that the admissions are made by the institution as per size of the unit and intake mentioned in the recognition spermission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.

Neetu Chawla SPBSAFGEA13914 CCABAU13914 SPBSAFGEA13914 CCABAU13914 SPBSAFGEA13914 SPBSA



ताइन एनओसी एण्ड अफ्फिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY MEERUT.

MEERUT 250002

दिनाक 20/05/2022

संख्या 40HARANUNI/संख्र 😂 🎖 12022

अस्थायी (पाठयक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

ा॰ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुश्रासा एवं कार्यपरिषद की मिति (दिनाक 20/05/2022) से RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD PG स्तर्राप

Course Name

Subject Name

MASTER OF SCIENCE (2022-2023)

ZOCHOGO

त्र्यक्रम में स्विविक्रभारत योखनात्त्रात दिनोंकः 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षी हेतु निम्नाताखेत शतों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की ते हैं

प्रस्था/महाविद्यालय सिरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 The scutive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions fail down for rting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The sees may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are illed to its satisfaction* की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचातन (Starting The Class) की अनुमात प्राप्त की जाएगी।

यह सम्बद्धता आंदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) अनुमति प्राप्त करने के प्रशास अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।

संस्था/महोधिकान्य अस्ति के व्याप्ट 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुस्रात दिशा शों एवं इस विप्रकार समान कर तिर्गत अन्य सुस्रात शासनादेशों का फलन कराति।

सूची में जिने संस्थात्रा/महाविद्यालया के संमति सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तृत की गर्यों है. उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा के म्भ करने से पूर्व इंपित सभी कामिया एवं शर्ती का निराकरण करा विद्या जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थित से गत कराते हुए अनिवाय रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के तसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकादी को इस आश्रम का प्रमाणपत्र प्रतिवृक्ष जावन करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की निरन्तर पूरी कर रहा है।

याहि अस्थामहाविद्यां वा कि कि मान्य की परिनिधनावलां अधिनेया में का बता शासन के विश्वविद्यालय द्वारी निधीरित शत मानकों को पूर्णता तथा उनका निस्नारता का सुनिश्चित नहीं किया आस्या का बत अवस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम १७७३ के वेधानों के अन्तर्गत संस्था की प्रदोन की गयी सम्बद्धता वापस लिये जान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संस्था द्वारा प्रवेश-एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिवमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पोलन सुनिश्ति प्री।

महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रवेश शासिन तथा विश्वविद्यालये द्वारा निर्धात वेशों का सम्बन्ध अनुसासन समप्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता द्वीपसी की कार्यवादी विद्यारणीय होगी।

> Neetu Chawla

Digitally signed by Neetu Chawla

DN: C=IN: 0=Personal: title=0850;
pseudonym=A8FC4A8D7D2044961528169B

23.4.20=2/129237e973e972e77e93e77e76a62e71 7d32c049e38f885e3b19966175f3b118cd, postalCode=201002, st=Uttar Pradesh, serialNumber=D19FCC2B2D739E2DBE5341F 978B9AF9EFA23997A3F33803626EB7FE44C 991BAE, cn=Neetu Chawla



्यक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय दास सुनिधित किया जाएगा।

का संख्या-61859/2012 में मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपारन में मानकानुसार अगुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित करोते त, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय की अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल संचिव

तिप: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

जी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनायै।

शेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..., उ°प्र° शासन, लखनऊ।

त्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ghaziabad मण्डल,

बन्धक, RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD को इस आशय से प्रेषित है गम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

रीक्षा नियंत्रक,RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD, Ghaziabad

लसचिव कार्यालय।

म्बन्धित पत्रावली।

कुल सहिव

Neetu Chawla